न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 400/15

वादीगण :- बनाम प्रतिवादीगण :-

1. लाडूराम पुत्र जस्साराम
2. पुखराज पुत्र जस्साराम
3. बाबुडी पुत्री जस्साराम
4. जीवणराम पुत्र कंवराराम
5. आलीजराम पुत्र कंवराराम

सभी जातियान-नट निवासीगण-घोडावड, तह.जैतारण जिला-पाली

1. पूनाराम पुत्र कंवराराम
2. पपूराम पुत्र बंशीलाल जाति-नट, निवासी-घोडावड तह.जैतारण, जिला-पाली
3. तहसीलदार, जैतारण भूमिधारी राज. सरकार
4. उपपंजीयन अधिकारी जैतारण तह.जैतारण जिला-पाली

राजस्व वाद पत्र घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम ता0रजू: 26/06/2015

उपस्थितः. 1. श्री महेन्द्र प्रजापत, अधिवक्ता, वादीगण।

-:: निर्णय ::- दिनॉकः- 26/06/2015

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद राज्य सरकार के आदेशानुसार राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-आ0कालू में बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, एवं धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा-घोडावड, तह.-जैतारण में ख.नं.22/568 रकबा 47 बीघा भूमि स्थित हैं। जिसमें पक्षकारान का 1/3 हिस्सा आता है तथा अपने हिस्से अनुसार पक्षकारान काबिज एवं काश्त करते है। जिनकी वंश वृक्षावली अनुसार मूल पुरूष कंवरराम पुत्र चुतराराम के पुत्रान जस्साराम (फौत), पूनाराम, बंशी (फौत), जीवणराम व आलीजराम हुए तथा जस्साराम (फौत) की पुत्री बाबुड़ी एवं पुत्रान लाडूराम व पुखराज हुए तथा बंशी (फौत) की पत्नि संतोकी (फौत) व पुत्र पपूराम हुआ। उक्त वर्णित विवादित अराजी में कंवराराम पुत्र चुतराराम का 1/3 हिस्सा है तथा उक्त भूमि पक्षकारान की पैतृक कृषि भूमि है, जिसमें सभी पक्षकारान का नाम राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में दर्ज होना चाहिए अर्थात् कंवराराम पुत्र चुतराराम के पॉच पुत्र हुए, जो वादीगण एवं प्रतिवादीगण हैं। इसलिए प्रत्येक पुत्र के 1/5-1/5 हिस्सा मौके पर आता है तथा अपने हिस्से अनुसार पक्षकारान मौके पर काबिज एवं काश्त करते है। प्रतिवादी संख्या 1 पूनाराम व प्रतिवादी संख्या 2 के पिता बंशी एवं वादी संख्या 1 लाडूराम बड़े एवं घर के कर्ता होने से इनके नाम ही भूमि दर्ज हो गई, तब वादी संख्या 2 से 5 के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज होने से रह गया जिसे दर्ज फरमावे। वादी संख्या 1 लाडूराम की वल्दीयत राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में गलत नाम लाडूराम पुत्र कंवराराम दर्ज कर दिया जिसे धारा 136 एल0आर0एक्ट के तहत दुरस्त कर लाडूराम पुत्र जस्साराम दर्ज फरमावे। वादीगण अपनी भूमि पर बैंक में ऋण लेकर उसे आधुनिक तरिके से जुलाई करना चाहता हैं। परन्तु वह जब पटवारी से जमाबंदी ली और बैंक में ऋण हेतु आवेदन किया, तो पता चला कि वादीगण का नाम राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में नही हैं। इसलिए वादीगण का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज

उपखण्ड अधिकारी जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

फरमावे। वादीगण का नाम राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में यदि दर्ज नही किया गया, तो उन्हें बैंक से ऋण नही मिलेगा तथा बिना ऋण के वादीगण को असीम हानि होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति रूपयों में नही आंकी जा सकेगी। बिनाय दावा दिनांक 15/06/2015 को पैदा हुआ, जब वादीगण ने पटवारी के नकले जमाबंदी को लेकर बैंक में ऋण हेतु आवेदन किया तथा उसे ऋण नही मिला, जो श्रीमान के क्षैत्राधिकार एवं श्रवणधिकार में है। प्रतिवादी संख्या 3 व 4 तहसीलदार एवं उपपंजीयन अधिकार हैं, जो राज0सरकार के प्रतिनिधि है। जिन्हे दो माह का नोटिस देकर इनके विरूद्ध दावा किया जा सकता हैं। परन्तु प्रकरण आवश्यक प्रकृति का होने के कारण बिना नोटीस दिये जाना पेश है, जावा पेश करने की अनुमति बाबत प्रा.फा. धारा 80(2) सी0आर0सी0 का पेश किया हैं।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। मौके पर प्रतिवादीगण उपस्थित हुए। राजस्व शिविर में पक्षकारों ने राजीनामा पेश किया कि माफिक वाद डिक्री किया जावें। वादीगण एवं प्रतिवादीगण की वंशावली का अवलोकन किया गया। वंशावली के अनुसार वादीगण खातेदार काश्तकार घोषित होना चाहते हैं एवं वादी संख्या 1 की वल्दियत लाडूराम पुत्र कंवरराम के स्थान पर जरिये दुरूस्त दर्ज लाडूराम पुत्र जस्साराम करवाना चाहते हैं। वादीगण का वाद स्वीकार योग्य हैं।

–:: आदेश ::–

अतः माफिक राजीनामा वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता हैं। डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि कि सरहद मौजा–घोडावड, तह.–जैतारण में ख.नं. 22/568 रकबा 47 बीघा की भूमि में वादी संख्या 1 से 3 को 1/5 एवं प्रतिवदीगण संख्या 1 को 1/5, प्रतिवादी संख्या 2 को 1/5 एवं वादी संख्या 4 का 1/5 एवं वादी संख्या 5 को 1/5 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। वादी संख्या 1 की वल्दियत लाडूराम पुत्र कंवरराम के स्थान पर जरिये दुरूस्त दर्ज लाडूराम पुत्र जस्साराम किया जाता हैं। तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर सामिल मिसल किया जावें। डिक्री पर्चा की प्रति तहसीलदार, जैतारण को भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 26/06/2015 को आयोजित लोक अदालत / केम्प 2015 शिविर अटल सेवा केन्द्र आ0कालू में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

Scanned by CamScanner

संशोधित डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :– उपखण्ड अधिकारी, मुकामः– जैतारण

बईजलास :– श्री घनश्याम शर्मा , आर0ए0एस0

वादीगण :– बनाम प्रतिवादीगण :–

1. लाडूराम पुत्र जस्साराम
2. पुखराज पुत्र जस्साराम
3. बाबुडी पुत्री जस्साराम
4. जीवणराम पुत्र कंवराराम
5. आलीजराम पुत्र कंवराराम

सभी जातियान–नट निवासीगण–घोडावड, तह.जैतारण जिला–पाली

1. पूनाराम पुत्र कंवराराम
2. पपूराम पुत्र बंशीलाल जाति–नट, निवासी–घोडावड तह.जैतारण, जिला–पाली
3. तहसीलदार, जैतारण भूमिधारी राज. सरकार
4. उपपंजीयन अधिकारी जैतारण तह.जैतारण जिला–पाली

राजस्व वाद पत्र घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

मु0न0 :रा0वा0 स0: 400/2015

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रुबरू ....–........ व हाजरी श्री महेन्द्र प्रजापत, अधिवक्ता, वादीगण मिनजानिब मुद्धई व मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक राजीनामा वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता हैं। डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि कि सरहद मौजा–घोडावड, तह.–जैतारण में ख.नं. 22/568 रकबा 47 बीघा की भूमि में वादी संख्या 1 से 3 को 1/15 एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 को 1/15, प्रतिवादी संख्या 2 को 1/15 एवं वादी संख्या 4 का 1/15 एवं वादी संख्या 5 को 1/15 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। वादी संख्या 1 की वल्दियत लाडूराम पुत्र कंवरराम के स्थान पर जरिये दुरूस्त दर्ज लाडूराम पुत्र जस्साराम किया जाता हैं। तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। डिक्री पर्चा की प्रति तहसीलदार, जैतारण को भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज ....–....मुबलिक....–....बाबत....–...खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ...–..... फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–......को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर लोक अदालत / केम्प कोर्ट शिविर अटल सेवा केन्द्र आ0कालू में आज तारीख 17/11/2016 को जारी किया गया ।

मोहर

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
(जिला–पाली)

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायलाह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	01 –	00	स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा	–		स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत	–		महनताना वकील		
महनताना वकील	02 –	00	खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर	–		बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा	–		मुतफरिक		
मिजानः–	03 –	00	मिजानः–		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिकी के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Scanned by CamScanner